



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर (भवन अनुभाग)

पत्रांक.....३५...
सेवा में,

सेक्टर.....०१.....

दिनांक १९-५-८३.....

श्री/श्रीमती/सेक्स...मिनि. नवीन ए. प्रिंसिपल डिप्टी
सुप. वरिष्ठ गोरखपुर.....

- आपके पत्र दिनांक.....१६-२-८३.....मानचित्र सं०.....३०१/१३.....के संदर्भ में आपके प्रस्तावित घर प्रस्ताव
भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी.....व. ट. व. व......भूखण्ड/भवन सं०.....२६६/२.....पर निम्नलिखित शर्तों के साथ
अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।
- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल ५ वर्ष तक वैध है।
 - मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वातंत्र्य एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
 - जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २६ के अधीन दण्डनीय है।
 - उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३५ के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 - जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
 - आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 - निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।

- परिवर्ण की हुई ३५ उ०प्र० नगर योजना एवं अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत कार्य से कार्य.....३०१/१३.....के संदर्भ में स्वीकृत मानचित्र एवं सापेक्षता है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
- प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपैन्सी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २६ के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
- दस्तावेज या शिर्का इस तरह से लगायें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
- बिजली की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

- यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम १९७३ की धारा १५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- सुराविजन एवं सेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र.....३०१/१३.....का पालन करना होगा।

१८- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का एक सेट पक्ष के पास रखना होगा।
संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

१९- मानचित्र सं० १८५८/२०१३ मिनि. डिप्टी प्रिंसिपल डिप्टी
अनुमति प्राप्त उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत कार्य से कार्य
सुलभ स्थापित दिनांक १८/५/८३ प्रमाण पत्र का दिनांक १८/५/८३
उत्तर न्यायिक सं० ३५५ सी. प्रमाण पत्र की भविष्य में होगी।

h
सचिव व. प्रिंसिपल
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर